

देवनानी की पत्नी के अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री पहुँचे

विभिन्न राजनीतिक दलों, प्रतिनिधियों के साथ हजारों की संख्या में जनता उपस्थित थी

अजमेर, 4 नवम्बर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की धर्मपत्नी इंदिरा देवनानी का मंगलवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित, राज्य सरकार के कई मंत्रियों ने अजमेर में देवनानी के निवास पर इंदिरा देवनानी को श्रद्धांजलि दी एवं शोक संतप्त परिवार को ढ ढ स बंधाया। अंतिम संस्कार में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों सहित हजारों की संख्या में शहर के लोग उपस्थित थे।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की धर्मपत्नी इंदिरा देवनानी की पार्थिव देह आज अजमेर के रूष्टि घाटी स्थित मुक्तिधाम में पंचतत्व में विलीन हुई। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी के पुत्र महेश ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पार्थिव देह को मुखार्पित दी। इंदिरा देवनानी की पार्थिव देह मंगलवार सुबह आठ बजे जयपुर से अजमेर लाकर उनके निवास स्थान पर दर्शनार्थ रखी गई।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मंगलवार को अजमेर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के घर पर इंदिरा देवनानी की पार्थिव देह को पुष्पांजलि अर्पित की। केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, सहकारिता मंत्री गौतम दक, चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खीवसर, खाद्य एवं नगरिक आपूर्ति मंत्री सुमित कुमार गोदारा, ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर,



मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा व कई मंत्रियों ने मंगलवार को अजमेर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की धर्मपत्नी इंदिरा देवनानी को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार को ढांडस बंधाया।

जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के राज्यमंत्री के.के. बिश्नोई, मुख्य सचेतक एवं पूर्व मंत्री जोगेश्वर गर्ग, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, किसान आयोग के अध्यक्ष सी.आर. चौधरी, देवनारायण बोर्ड के

अध्यक्ष ओमप्रकाश भडाणा, राजस्थान घरोहर संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष, ऑंकार सिंह लखावत, विधायक मसूदा वीरेंद्र सिंह कानावत, भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी, जयपुर विधायक गोपालशर्मा, व्यावरविधायक शंकर सिंह रावत, पंवर सिंह पलाड़ा श्रद्धांजलि देने के लिए अजमेर पहुंचे।

श्रद्धांजलि देने वालों में अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, दीनबंधु चौधरी, आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह राठीड, पूर्वं विधायक किशन सोनगरा, पूर्वं विधायक डी. श्रीगोपाल बाहेठी, किशनगढ के पूर्व विधायक सुरेश टांक, किसान मोर्चा अध्यक्ष हरिराम

सुप्रीम कोर्ट ने धर्मान्तरण कानून पर राजस्थान सरकार को नोटिस भेजा

अधिवक्ता हुजैफा अहमदी और वरिष्ठ मानवाधिकार कार्यकर्ता जॉन दयाल की याचिका पर नोटिस जारी किए गए हैं

नयी दिल्ली, 04 नवंबर। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2025 के कई प्रावधानों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अधिवक्ता एवं शोधकर्ता एम. हुजैफा और वरिष्ठ मानवाधिकार कार्यकर्ता जॉन दयाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड यशवंत सिंह के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये प्रावधान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और दंडात्मक विवर्यंस और सामूहिक दंड के समान हैं। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता अभय महादेव धिप्से ने किया।

न्यायालय ने इस मामले को एक अन्य लंबित जनहित याचिका, दशरथ कुमार हिन्नुनिया बानार माधवारण राज्य, के साथ संलग्न कर दिया, जिस पर वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफ़ा अहमदी ने तर्क दिया था, जिसमें पहले नोटिस और

■ **याचिका में आरोप लगाया गया है कि देश के विभिन्न राज्यों में जो धर्मान्तरण कानून बने हैं उन्हें राजस्थान का कानून सर्वाधिक गंभीर है।**

स्थान आवेदन जारी किए गए थे। सुनवाई के दौरान पीठ ने सवाल किया कि याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय में क्यों नहीं दायर की गई। जवाब में अहमदी ने दलील दी कि अन्य राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली इसी तरह की याचिकाएं पहले से ही शीर्ष न्यायालय में लंबित हैं, और संबंधित मामले इसी न्यायालय में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। उन्होंने राजस्थान के कानून को सभी राज्य धर्मांतरण विरोधी कानूनों में "सबसे गंभीर" बताते हुए कहा कि इस कानून में सामूहिक धर्मांतरण (दो से अधिक व्यक्तियों के धर्मांतरण के रूप में परिभाषित) के लिए 20 लाख रुपये तक के जुर्माने और

20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ये प्रावधान बिना सुनवाई के दंडात्मक कार्रवाई की अनुमति देकर संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 22 और 300ए का उल्लंघन करते हैं, तथा कानून के शासन और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को कमजोर करते हैं। अल्पसंख्यकों और हाशिए पर पड़े समूहों पर पड़ने वाले असमान प्रभाव को उजागर करते हुए याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष न्यायालय से इन प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए उन्हें रद्द करने का आग्रह किया है।

इंडिया गठबंधन एसआईआर का देश व्यापी विरोध करेगा

नयी दिल्ली, 04 नवंबर। इंडिया गठबंधन ने मंगलवार से शुरू हो रही दूसरे चरण की मतदाता गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया का विरोध करने की योजना बनायी है।

सूत्रों के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एसआईआर को लेकर इंडिया गठबंधन ने देशव्यापी आंदोलन करने की तैयारी की है। इंडिया गठबंधन इसके विरोध में सामूहिक रूप से उच्चतम न्यायालय का फिर से रुख करने की भी तैयारी कर रहा है। सूत्रों के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद (एसआईआर) के मसले पर इंडिया गठबंधन की बैठक आयोजित की जायेगी, जिसमें उच्चतम न्यायालय से गुहार करने और देशव्यापी आंदोलन करने की रूपरेखा तैयार की जायेगी। फिलहाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रीय जनता

■ **अंतिम संस्कार में अजमेर के विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी तथा विश्व हिन्दू परिषद व आरएसएस के पदाधिकारी भी उपस्थित थे।**

रिणवा, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जी आर मूलचंदानी, जिला अध्यक्ष रमेश सोनी, देहात अध्यक्ष जीतमल प्रजापत, नागौर जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष जालौर श्रवण सिंह राव, महेंद्र सिंह रलावता, विजय जैन, पूर्व जिला अध्यक्ष अरविंद यादव, पूर्व सभापति सुरेन्द्र सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा, एडीए के पूर्व अध्यक्ष शिव शंकर हेड्डा, पूर्व जिला प्रमुख पुष्पराज पहाड़िया, पूर्व कुलपति बी.एल. छीपा, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री शशि प्रकाश इंदौरिया, प्रांत संघ चालक जगदीश राणा, प्रचारक राजेन्द्र सिंह एवं गोविंद, जिला संघ संचालक खाजु लाल चौहान सहित, संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठीड, महानिरीक्षक पुलिस राजेन्द्र सिंह, जिला कलेक्टर लोकबंधु भी शामिल थे।

एसआईआर के खिलाफ सड़क पर उतरीं ममता बनर्जी

बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत के पहले दिन ही तृणमूल ने मार्च निकाला

■ **इधर सिंगूर में भाजपा द्वारा एसआईआर के समर्थन में आयोजित एक सभा पर कथित रूप से तृणमूल के लोगों ने हमला कर दिया, हालांकि तृणमूल ने इन आरोपों का खंडन किया है।**

इसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए। हालांकि, सत्तारूढ़ दल ने भाजपा के आरोपों का खंडन किया है।

पैदल मार्च के समापन के बाद सभा को संबोधित करते हुए ममता व अभिषेक ने एसआईआर को लेकर भाजपा व केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। ममता ने कहा कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से भाजपा लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार छीनना चाहती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं जान दे दूंगी, लेकिन किसी का भी अधिकार छीने नहीं दूंगी। उन्होंने फिर चेतावनी दीकि एक भी वैध मतदाता का नाम कटने पर दिल्ली जाकर बड़ा आंदोलन व घेराव किया जाएगा। ममता ने कहा कि लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई जारी रहेगी।

ममता ने कहा कि भाजपा मतदाता सूची में गड़बड़ व फर्जी लोगों के नाम शामिल होने की बात करती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिए बिना उन्होंने सवाल किया कि अगर ऐसा है तो आप इतने सालों से किस वोटर लिस्ट से जीतते आए हैं और केंद्र व कई राज्यों की सत्ता में है? अगर ये लिस्ट झूठी है,

तो आपकी सरकार भी झूठी है, आपका पद भी झूठ है। उन्होंने कहा कि दिखाने के लिए मोदी हर साल कुछ न कुछ कर रहे हैं। एक बार उन्होंने नोटबंदी की। आज हमें बताइए, क्या आप काला धन वापस लाए? कितना काला धन वापस आया?

वहीं, नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने ममता व तृणमूल पर एसआईआर को लेकर भय पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने एसआईआर के कथित डर से कुछ लोगों द्वारा आत्महत्या किए जाने के लिए ममता को जिम्मेदार ठहराया।

जद (यू) ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) अनंत सिंह, जिनके खिलाफ पहले ही 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं, अब गैंगस्टर से राजनेता बने दुलार सिंह यादव की हत्या के मामले को रूपा में नामजद किए गए हैं। यादव मोकामा में जन सुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने इस बात का खंडन किया कि दुलार सिंह यादव जन सुराज से जुड़े थे।

महाराष्ट्र में नगर परिषदों व पंचायतों के चुनाव 2 दिसम्बर को

मुंबई, 04 नवंबर। महाराष्ट्र के प्रदेश चुनाव आयोग ने मंगलवार को 246 नगर परिषदों और 42 पंचायतों के लिए मतदान की तारीख दो दिसंबर घोषित कर दी है। लेकिन आयोग ने 29 नगर निगमों के चुनाव की तारीख की घोषणा फिलहाल नहीं की है। राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश टी. वाघमारे ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मतगणना 03 दिसंबर को होगी और परिणाम 10 दिसंबर को घोषित किए जाएँ। आयोग के मुताबिक, नामांकन प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर है और 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी। वाघमारे ने बताया कि इन स्थानीय निकायों में 6,859 सदस्यों और 288 अध्यक्षों के चुनाव के लिए मतदान होगा।

बाहर राज्यों में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) गणना अवधि आज से शुरू हो गई है और यह चार दिसंबर तक पूरे एक महीने तक जारी रहेगी।

27 अक्टूबर, 2025 तक मतदाता सूची में शामिल प्रत्येक मतदाता को एक विशिष्ट गणना प्रत्येक (ईएफ) उपलब्ध कराया जाएगा, जो आंशिक रूप से पहले से भरा होगा।

सभी 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ईएफ का वितरण शुरू हो चुका है और 100 प्रतिशत ईएफ छप चुके हैं। एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 5.3 लाख से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ), 7.64 लाख बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए), 10,448 ईआरओ/ईआरओ और 321 डीईओ लगाये गये हैं।

राहुल गाँधी की, फ्रैश, ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) जिलाध्यक्ष नहीं चाहते, जो उनके प्रभाव क्षेत्र में फिट न बैठते हों।

सिफारिश किए गए नामों में प्रमोद सिसोदिया (चिचौटीगढ), सबनम गोदारा (हनुमानगढ) और पुणेन्द्र भारद्वाज (जयपुर) शामिल हैं।

पार्टी की ओर से अभी औपचारिक आदेश जारी नहीं हुए हैं, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि संगठन को स्वच्छ और विश्वसनीय बनाने की पार्टी की प्रतिबद्धता के संदर्भ में चयनित नामों की जांच की जानी चाहिए।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स () पोर्टल के अनुसार, भारद्वाज के हलफनामे में निम्नलिखित मुकदमों का उल्लेख है:

एफआईआर	संख्या
1129/2008, सीआईएस संख्या 20789/14, एसोएमएम संख्या 9, जयपुर-1 - आईपीसी की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा), मामला लंबित।	
एफआईआर	संख्या
155/2001, केस 321/2002, एसोएमएम संख्या 9, जयपुर - आईपीसी की धाराएं 147, 148, 149, 452, 427 (दंगा व संबंधित अपराध)। इसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था, लेकिन परीक्षा अधिनियम के तहत रिहा किया गया; अपील अब भी लंबित है।	
भारद्वाज दो बार सांगानेर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार	

रहे हैं, लेकिन दोनों बार 50,000 से अधिक वोटों से हार चुके हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी डिप्टी सीएम और भाजपा नेता प्रेमचंद बौरवा से जजदीकी हितों के टकराव की स्थिति पैदा करती है।

पिछले साल वायरल हुए एक वीडियो में भारद्वाज के बेटे और बैरवा के बेटे को पुलिस वाहनों के साथ खुली जीप में घुमते हुए दिखाया गया था, जिससे सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग को लेकर काफी आलोचना हुई। बाद में जारी एक और वीडियो में भारद्वाज ने इस घटना का बचाव किया, बजाय निंदा करने का। यह मामला राष्ट्रीय मीडिया में भी प्रमुखता से छपा था।

हनुमानगढ और चिचौटीगढ में जमीनी कार्यकर्ताओं ने सबनम गोदारा और प्रमोद सिसोदिया के नामों पर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इनकी स्थानीय साख और कार्यशैली पर पहले से सवाल उठते रहे हैं। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि औपचारिक निष्पक्षि से पहले इन सभी के पृष्ठभूमि की जांच बेहद जरूरी है।

जयपुर जिला (शहर) कांग्रेस कमेटी के कुछ सदस्यों ने एआईसीसी नेतृत्व को जापन देकर मांग की है कि जिलाध्यक्ष सह के उम्मीदवारों की जांच की जाए कि उनके खिलाफ कोई कानूनी मामला लंबित न हो और न ही कोई हितों का टकराव हो।

जयपुर के एक कार्यकर्ता ने कहा, राहुल गांधी जी के संगठन सृजन

‘सड़क दुर्घटनाएं ...

में सड़क सुरक्षा नीति, 2017 अपनाई गई है और इसमें ब्लैक-स्पॉट प्रबंधन व यातायात नियामाी का भी प्रावधान है। इसके बावजूद प्रशासन यहां पर ओवरलोड वाहनों के अनधिकृत प्रवेश और लापरवाही से संचालन को रोकने में विफल रहा है। याचिका में अदालत से आग्रह किया है कि जयपुर नगरपालिका सीमा के भीतर भारी वाणिज्यिक वाहनों के

प्रवेश और संचालन को प्रतिबंधित किया जाए।

सभी एजेंसियों के संयुक्त प्रवर्तन अभियानों के जरिए कानूनी प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन हो। इसके अलावा राज्य सड़क सुरक्षा परिषद, पीएचडी, जेडीए को निर्देश दिया जाए कि वे शहर की प्रमुख सड़कों की इंजीनियरिंग की अडि्ट करें और एससीडीट वाले ब्लैक स्पॉट की पहचान करें व मरम्मत बिहाे।

भूमिहार बिहार में जनसंख्या ...

हावी रहती है। लेकिन भूमिहार समुदाय इसका एक विचारणीय विरोधाभास प्रस्तुत करता है। भले ही भूमिहार केवल 2.9 प्रतिशत मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव के समीप आने के साथ ही भूमिहार तीव्र राजनीतिक दौंव-पेच के केंद्र बन गये हैं। यह छीना-झपटी केवल संख्या के कारण नहीं है, यह प्रभाव, विरासत और राजनीतिक सपनों की जिंदा रहने की लड़ाई है। बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ, विशेषकर एनडीए और महागठबंधन, ऐसे समुदाय को लेकर तराटा प्रयास क्यों करती हैं, जिसके वोट का हिस्सा 3 प्रतिशत से भी कम है? इसका उत्तर भूमिहारों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता में छिपा हुआ है। परंपरिक रूप से इन्हें एक उच्च जाति के रूप में देखा जाता है (जो लगभग ब्राह्मणों के समान मानी जाती है), और इनका बिहार की राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है।

भूमिहारों के उत्पत्ति के बारे में एक मान्यता यह है कि वे ब्राह्मण थे, जिन्हें बौद्ध शासक अशोक महान के शासन में अनुदान स्वरूप भूमि प्रदान की गई थी। जब उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया, तब हिंदू पुजारियों ने उन्हें ब्राह्मणों से मामूली सा नीचा दर्जा दिया।

कुछ उन्हें ब्राह्मणों और राजपूतों का मिश्रण मानते हैं। भूमिहार एक पारंपरिक रूप से भू स्वामी जाति रही है और छोटी रियासतों और जमींदारियों

पर उनका नियंत्रण रहा है, जैसे बेतिया, टेकरी, हटवा, तमुखी, शिवहर, पाकुर, महिषादल और मधेसपुर, और उत्तर प्रदेश की वाराणसी। ब्रिटिश शासन के दौरान, भूमिहारों ने अधिकारों रूप से सेना में शामिल होकर एक सैन्य छवि बनाई।

भूमिहार समुदाय ने कई सुजनशील बुद्धिजीवियों को जन्म दिया, जैसे बीर रस परम्परा के राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, लेखक राहुल सांकृत्यायन, रामचुध बेनीपुरी और ऐसे ही अन्य बहुत से साहित्यकार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 नवंबर को पटना में दिनकर चौक से अपने रोड शो की शुरुआत की, और कवि दिनकर का यशोगान किया।

श्री कृष्ण सिंह, जो संविधान सभा के सदस्य और बिहार के पहले मुख्यमंत्री (1946 से 1961 तक) और एक भूमिहार नेता थे, की विरासत बहुत महत्वपूर्ण है, और यह सभी पक्षों को यह याद दिलाती है कि यह समुदाय चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है।

सिंह के लंबे कार्यकाल में कई प्रभावशाली भूमिहार नेताओं का उदय हुआ, जिनमें महेश प्रसाद सिन्हा, कुणकान्त सिंह, एलपी शाही, बसवन् सिन्हा और कैलाशपति मिश्र शामिल हैं। कैलाशपति मिश्र (गुजरात के पूर्व गवर्नर) बिहार के एक बहुत प्रभावशाली भाजपा नेता थे।

इसी तरह, पूर्व केन्द्रीय स्वास्थ्य

मंत्री डॉ. सी.पी. ठाकुर भी प्रभावशाली भूमिहार नेताओं में शामिल थे। आज भाजपा में शीर्ष भूमिहार नेता हैं, केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मोहन सिन्हा और बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा। भले ही ओबीसी नेताओं जैसे लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने 1990 से 2025 तक बिहार की राजनीति में दबदबा बनाया हो, भूमिहारी समुदाय ने नौकरशाही, शिक्षा, मीडिया, और पेशेवर क्षेत्रों, जैसे कानून, चिकित्सा आदि में अपनी छाप छोड़ी है। बिहार के प्रमुख ठेकेदार मुख्यतः भूमिहार ही हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में भूमिहार कायस्थों और ब्राह्मणों से मुकाबला करते हैं। आक्रामकता में भूमिहार राजपूतों और यादवों से मुकाबला करते हैं। व्यापार में भूमिहार बनियों से मुकाबला करते हैं। वे राजनीति में भी हावी हैं, राजीव रंजन सिंह (उर्फ लल्लन सिंह, प्रमुख जेडीयू नेता और केन्द्रीय पंचायतीराज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री), जो पीएम मोदी के रोड शो में उनके साथ थे, एक प्रमुख भूमिहार नेता हैं।

इसी तरह, पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी भूमिहार हैं। लल्लन सिंह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दशकों पुराने करीबी दोस्त हैं। जब 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो पटना में एक प्रसिद्ध कहावत थी "ताज नीतीश को, राज भूमिहार को।"

